समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 02 September 2026

दिशा सालियन मौत मामले मे बंड़ी खबर, मुंबई हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच ; पिता सतीश सालियन ने जताया अदालत का आभार

Sanket Morankar Published on 02 Sep 2026

दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर **दिशा सालियन** की मौत के मामले में बुधवार, **2 सितंबर 2026** को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच को **केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने का आदेश दिया**। अदालत के इस फैसले के बाद दिशा सालियन के पिता **सतीश सालियन** ने न्यायालय का आभार जताया।

सतीश सालियन ने अपनी बेटी की मौत की जांच में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए मामले की नए सिरे से जांच और FIR दर्ज करने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।

क्या था पूरा मामला ?

दिशा सालियन की **8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके मे एंक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी**। वह अभिनेता **सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर** थीं।

दिशा की मौत के कुछ ही दिनों बाद **14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत** हुई थी। दोनों घटनाओं के बीच समय का अंतर कम होने के कारण उस समय देशभर में इन मामलों को लेकर काफी चर्चा हुई थी और कई तरह के दावे सामने आए थे।

मुंबई पुलिस ने दिशा सालियन की मौत के मामले में **Accidental Death Report (ADR)** दर्ज कर जांच की थी। पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था।

हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियन ने पुलिस के इस निष्कर्ष पर सवाल उठाए थे और अपनी बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की थी।

पिता सतीश सालियन ने उठाए थे कई सवाल

सतीश सालियन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत की जांच सही तरीके से नहीं की गई। उन्होंने मामले में FIR दर्ज करने और पूरे घटनाक्रम की दोबारा जांच कराने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने भी जांच की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे।

अदालत ने सवाल किया था कि जब परिवार की ओर से मौत को लेकर संदेह जताते हुए शिकायत की गई थी, तो **FIR दर्ज क्यों नहीं की गई ?**

ADR और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी अदालत के सवाल

मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि दिशा सालियन की मौत से संबंधित **ADR और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतियां इतने वर्षों बाद भी परिवार को क्यों नहीं दी गईं।**

इसके अलावा अदालत ने पुलिस के उस दावे पर भी सवाल उठाया था कि दिशा 14वीं मंजिल से गिरी थीं। कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों और पुलिस के घटनाक्रम के बीच तालमेल को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा था।

इन सवालों के कारण मामले की जांच की प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई थी।

अब CBI करेगी मामले की जांच

मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब **दिशा सालियन मौत मामले की आगे की जांच CBI करेगी**।

CBI के सामने अब पूर्व में की गई जांच, ADR, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, संबंधित लोगों के बयान और उपलब्ध अन्य सबूतों की जांच का महत्वपूर्ण काम होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति को पहले से आरोपी मानकर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएं, सबूतों की जांच की जाए और जांच के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला जाए। इसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए।

अदालत के फैसले के बाद पिता ने जताया आभार

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा सालियन के पिता **सतीश सालियन ने अदालत का आभार जताया**।

उनकी ओर से लंबे समय से बेटी की मौत की निष्पक्ष और नए सिरे से जांच की मांग की जा रही थी। अब मामले की जांच CBI को सौंपे जाने के बाद परिवार को इस मामले में आगे की जांच से महत्वपूर्ण तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण भी चर्चा में रहा मामला

दिशा सालियन की मौत के कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने के कारण दोनों घटनाओं को लेकर लंबे समय तक सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा होती रही।

हालांकि, दोनों मामलों के बीच किसी भी संबंध को लेकर अंतिम निष्कर्ष केवल आधिकारिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।

अब दिशा सालियन मामले की जांच CBI के हाथों में जाने के बाद इस मामले में आगे क्या सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

दिशा सालियन मौत मामले मे मुंबई हाईकोर्ट का CBI जांच का आदेश इस मामले मे एंक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। परिवार की ओर से जांच में कथित खामियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे थे।

अब CBI पूर्व जांच से जुड़े दस्तावेजों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, ADR, बयानों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी। **जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी दिशा तय होगी।**

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.